# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

**अपील संख्या 150/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00159)**

1. रामनारायण पुत्र रेवड, जाति गुर्जर, निवासी रेहडिया, तहसील बसवा, जिला दौसा।

**– अपीलान्ट**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बसवा, जिला दौसा।
2. भौरया पुत्र गोपीराम, जाति रैगर, निवासी रेहडिया, तहसील बसवा, जिला दौसा।

**–रेस्पोडेन्ट**

**अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 09.05.2018 अपील संख्या 98/2017 उनवानी रामनारायण बनाम राजस्थान सरकार व निर्णय नायब तहसीलदार बसवा, जिला दौसा दिनांक 10.08.2017 प्रकरण संख्या 01/2017 में पारित किये गये हैं।**

**उपस्थित :–**

1. श्री विनोद कुमार विजय, वकील अपीलान्ट।
2. रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता, उपस्थित।
3. श्री राजेन्द्र जागिंड़ अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनुपस्थित।

**निर्णय**

**दिनांक–30.12.2024**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 09.05.2018 एवं नायब तहसीलदार बसवा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 10.08.2017 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बसवा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 10.08.2017 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध संवत 2072 में वाके ग्राम रेहड़िया की आराजी खसरा नम्बर 1414 कुल रकबा 0.05 है0 में से रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता सिवायचक पर अतिक्रमण कर कब्जा डोल लगाकर अपने खातेदारी की भूमि में शामिल करने पर बेदखली की कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित कर दिये। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के यहां पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2018 द्वारा खारिज कर दी गयी।

3. नायब तहसीलदार बसवा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 10.08.2017 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 09.05.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय नायब तहसीलदार बसवा, जिला दौसा दिनांक 10.08.2017 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 09.05.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बसवा ने अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना एवं पटवारी हल्का से जिरह का मौका दिये बिना अपीलान्ट को अपने समुचित साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना उक्त निर्णय पारित किया गया था। ऐसे आदेश की अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज करने में कानूनी गलती की है। पूर्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने उक्त प्रकरण को रिमान्ड कर नायब तहसीलदार बसवा को यह आदेश दिया था कि उभय पक्ष को सुनवायी व सबूत का अवसर दिया जाकर विधिक प्रकिया अपनाते हुए नियमों के परिप्रेक्ष्य में विधि सम्मत निर्णय पारित करें किन्तु अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बसवा ने अतिरिक्त जिला



अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

कलेक्टर दौसा के आदेश की पालना किये बिना अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के आदेश के विपरीत तरीके से उक्त निर्णय पारित किया था। लेकिन फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपील को खारिज करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्ट ने रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है जहाँ होकर रास्ता बताया जा रहा है वह सेटलमेन्ट ने गलत इन्द्राज किया है सेटलमेन्ट से पहले उक्त भूमि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि थी और अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि में से सेटलमेन्ट ने गलत रास्ता अंकित किया है। सेटलमेन्ट को ऐसा करने का कोई अधिकार नही था मौके पर कभी भी कोई रास्ता चालू नहीं रहा है और ना ही आज कोई रास्ता है। सेटलमेन्ट की गलती को दुरूस्त करने का तहसीलदार स्वयं को अधिकार है और तहसीलदार की स्वयं की भी जिम्मेदारी है कि यदि सेटलमेन्ट ने रिकार्ड में कोई गलती कर दी हो तो उसे वह स्वयं दुरूस्त करवाये किन्तु नायब तहसीलदार ने ऐसा नहीं करके और अपीलान्ट के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित करके कानूनी गलती की है और ऐसे आदेश की अपील को खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने दस्तावेज पेश किये थे और दस्तावेजात से सेटलमेन्ट विभाग द्वारा रिकार्ड में गडबडी करना सिद्ध था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय में उक्त तथ्यों के बारे में अपनी कोई फाइन्डिंग दिये बिना तथा बिना कोई अपनी राय प्रकट किये बिना अपना निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 09.05.2018 व निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बसवा, जिला दौसा दिनांक 10.08.2017 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा संवत 2072 में वाके ग्राम रेहड़िया तहसील बसवा की आराजी खसरा नम्बर 1414 कुल रकबा 0.05 है0 में से रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता सिवायचक भूमि पर कब्जा डोल लगाकर अपनी खातेदारी की भूमि में शामिल कर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 10.08.2017 को बेदखली की कार्यवाही किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा में अपील दायर करने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2018 द्वारा अपील खारिज कर दी गयी। जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो विधिवत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी की अतिक्रमण रिपोर्ट दिनांक 29.10.2015 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा संवत 2072 में वाके ग्राम रेहड़िया तहसील बसवा की आराजी खसरा नम्बर 1414 कुल रकबा 0.05 है0 में से रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता सिवायचक भूमि पर कब्जा डोल लगाकर अपनी खातेदारी की भूमि में शामिल कर अतिक्रमण किया है। अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो विधिवत प्रतीत होता है। अपीलान्ट अतिक्रमी है, जबकि कानून गै0मु0 रास्ता सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। ऐसे में गै0मु0 रास्ता सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ



अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी गै0मु0 रास्ता सिवायचक भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बसवा तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णयों में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि यदि वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट के कोई अधिकार हैं तो वह सक्षम न्यायालय में वाद/प्रार्थना पत्र दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेज उपलब्ध नहीं है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर कोई अनुतोष/स्थगन प्राप्त किया हो। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2018 को यथावत रखा जाता है।

**( डॉ. प्रवीण कुमार )**
**अति. सम्भागीय आयुक्त,**
**जयपुर**

निर्णय दिनांक 30.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

**अति. सम्भागीय आयुक्त,**
**जयपुर**